रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8]	दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 28, 2017/अग्रहायण 7, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 357
No. 8]	DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 28, 2017/AGARHAYANA 7, 1939	[N.C.T.D. No. 357

भाग—III

PART—III

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

दिल्ली, 27 नवम्बर, 2017

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण लाइसेंसधारक और वितरण लाइसेंसधारक के अन्य व्यवसाय से आय का उपयोग) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017

सं एफ.3(470)/टैरिफ–इंजी./डीईआरसी/2016–17/5435/1729.—दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण लाइसेंसधारक और वितरण लाइसेंस धारक के अन्य व्यवसाय से आय का उपयोग) विनियम, 2005 के विनियम 9 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उस संबंध में सक्षम करने वाली सभी शक्तियों से, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग एतद्द्वारा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण लाइसेंसधारक और वितरण लाइसेंसधारक के अन्य व्यवसाय से आय का उपयोग) विनियम, 2005 में संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं:

1.0 संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन विनियमों को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण लाइसेंसधारक और वितरण लाइसेंसधारक के अन्य व्यवसाय से आय का उपयोग) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017 कहा जा सकता है।

(2) यह विनियम अधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2.0 प्रमुख विनियम के विनियम 4 के उप–विनियम (1) (क) में संशोधन।

प्रमुख विनियम के विनियम 4 के उप– विनियम (1) (क) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगाः —

(क) किसी अन्य व्यवसाय गतिविधि के लिए खंडवार रिपोर्टिंग को बनाए रखना जैसे किसी अन्य व्यवसाय से अथवा के लिए लगाए गए शुल्क सहित उस शुल्क के आधार के विवरण के साथ या विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के बीच संविभाजन या आवंटन द्वारा निर्धारित राजस्व, लागत, परिसंपत्ति, दायित्व, संचय या प्रावधान की राशि।

3.0 प्रमुख विनियम के विनियम 5 के उप– विनियम (5) में संशोधन।

प्रमुख विनियम के विनियम 5 के उप–विनियम (5) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगाः—

''(5) उपरोक्त उप–खंड (3) के अधीन लागतों को साझा करने के अतिरिक्त, लाइसेंसधारक लाइसेंसीकृत व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होगा और लाइसेंसीकृत व्यवसाय को अन्य व्यवसाय से राजस्व का एक निश्चित अनुपात का भुगतान सुनिश्चित करेगा, जो निम्नानुसार होगाः

क) जहां लाइसेंसधारक लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय की परिसंपत्तियों और सुविधाओं का अन्य व्यवसायों के लिए उपयोग करता है, वहां लाइसेंसधारक ऐसे व्यवसाय से शुद्ध राजस्व का 40% बनाए रखेगा और शुद्ध राजस्व के शेष 60% को विनियमित व्यवसाय को पारित करेगा; तथा

ख) जहां लाइसेंसधारक लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय की परिसंपत्तियों और सुविधाओं का अन्य व्यवसायों के लिए उपयोग नहीं करता है, वहां लाइसेंसधारक ऐसे व्यवसाय से शुद्ध राजस्व का 60% बनाए रखेगा और शुद्ध राजस्व के शेष 40% को विनियमित व्यवसाय को पारित करेगा;

बशर्ते कि ऐसे अन्य व्यवसायों की किसी भी क्षति के लिए लाइसेंसधारक जिम्मेदार होगा।"

सुरेंद्रा इडुपघंटी, सचिव

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

Delhi, the 27th November, 2017

Delhi Electricity Regulatory Commission (Treatment of Income from other Business of Transmission Licensee and Distribution Licensee) (First Amendment) Regulations, 2017

No. F. 3(470)/Tariff-Engg./DERC/2016-17/5435/1729.—In exercise of powers conferred under regulation 9 of the Delhi Electricity Regulatory Commission (Treatment of Income from Other Business of Transmission Licensee and Distribution Licensee) Regulations, 2005 and all powers enabling it in that behalf, the Delhi Electricity Regulatory Commission hereby makes following Regulations to amend the Delhi Electricity Regulatory Commission (Treatment of Income from Other Business of Transmission Licensee and Distribution Licensee) Regulations, 2005:

1.0 Short Title and Commencement

(1) These Regulations may be called the Delhi Electricity Regulatory Commission (Treatment of Income from Other Business of Transmission Licensee and Distribution Licensee) (First Amendment) Regulations, 2017.

(2) This Regulation shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2.0 Amendment of sub-regulation (1) (a) of Regulation 4 of the Principal Regulation.

In Regulation 4 of Principal Regulations, for sub-regulation (1) (a), the following shall be substituted namely:-

(a) maintain segment wise reporting for Other Business activities, such as amounts of any revenue, cost, asset, liability, reserve, or provision which has been charged from or to any Other Business together with a description of the basis of that charge or determined by apportionment or allocation between the various business activities together with a description.

3.0 Amendment of sub-regulation (5) of Regulation 5 of the Principal Regulation.

In Regulation 5 of Principal Regulations, for sub-regulation (5), the following shall be substituted namely:-

"(5) In addition to the sharing of costs under sub-clause (3) above, the Licensee shall account for and ensure due payment to the Licensed Business a certain proportion of revenues from the other Business as follows:

a) where the Licensee utilizes the assets and facilities of the licensed business for other business the Licensee shall retain 40% of the net revenue from such business and pass on the remaining 60% of the net revenue to the regulated business; and

b) where the Licensee does not utilize the assets and facilities of the licensed business for other business, the Licensee shall retain 60% of the net revenue from such business and pass on the remaining 40% of the net revenue to the regulated business;

Provided that any deficit on account of such other business shall be to the account of the licensee."

SURENDRA EDUPGHANTI, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.12.01 15:14:55 +05'30'